

राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर

वर्ष 2017-18 में विभिन्न सहयोग योजनाओं में प्रविष्टियाँ आमंत्रित

विज्ञप्ति संख्या (1) 'पाण्डुलिपि प्रकाशन सहयोग' योजना में पाण्डुलिपियाँ आमंत्रित

राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2017-18 में 'पाण्डुलिपि प्रकाशन सहयोग' योजनान्तर्गत राजस्थान निवासी सृजनशील साहित्यकारों की स्तरीय पाण्डुलिपियाँ आमंत्रित हैं। जिन लेखकों को हिन्दी भाषा में पाँच से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं वे इस योजना में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। जिन लेखकों को इस योजना में दो बार सहयोग प्राप्त हो चुका है वे भी भागीदारी नहीं कर सकेंगे। पाण्डुलिपि (दो प्रतियाँ) कम से कम 80 पृष्ठों की स्पष्ट टंकित या ए-4 साईज में कम्प्यूटर टंकित फुलस्केप आकार की होनी आवश्यक है। बाल साहित्य की पाण्डुलिपियाँ कम से कम 40 पृष्ठीय टंकित/ए-4 साईज में कम्प्यूटर टाइप होनी आवश्यक हैं।

विज्ञप्ति संख्या (2) साहित्यिक पत्र-पत्रिका आर्थिक सहयोग हेतु प्रविष्टियाँ आमंत्रित

राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थान की हिन्दी भाषा की सृजनशील, आलोचनापरक, शोध विषयक पंजीकृत 'साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं' को वर्ष 2017-18 में आर्थिक सहयोग दिये जाने के संबंध में प्रविष्टियाँ आमंत्रित हैं। इच्छुक प्रकाशक, संपादक इस योजना के निर्धारित प्रपत्र के साथ पत्रिका की प्रविष्टि (गत एक वर्ष के प्रकाशित अंक) अकादमी कार्यालय में भिजवा सकते हैं।

विज्ञप्ति संख्या (3) साहित्यकार आर्थिक सहयोग हेतु प्रविष्टियाँ आमंत्रित

राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 'साहित्यकार संरक्षित तथा सक्रिय साहित्यकार सहयोग' योजनान्तर्गत राजस्थान निवासी हिन्दी के साहित्यकारों से वर्ष 2017-18 में आर्थिक सहयोग हेतु विवरण पत्र आमंत्रित हैं। अकादमी की सम्बद्ध व मान्यता प्राप्त संस्था के पदाधिकारी भी प्रस्ताव भेज सकते हैं।

अकादमी प्रतिवर्ष ऐसे साहित्यकारों को भी जो साहित्य-सृजन में संलग्न हैं अथवा जिन्होंने उल्लेखनीय साहित्य सेवा की है और अब वृद्धावस्था अथवा अन्य कारणों से आर्थिक सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, को आर्थिक सहयोग देती है।

विज्ञप्ति संख्या (4) प्रकाशित ग्रन्थों पर सहयोग हेतु प्रविष्टियाँ आमंत्रित

राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 'प्रकाशित ग्रन्थों पर सहयोग' योजना वर्ष 2017-18 हेतु राजस्थान निवासी लेखकों से हिन्दी भाषा में रचित अथवा अनूदित ग्रन्थ आमंत्रित हैं। इस योजना में लेखकों द्वारा रचित अथवा अनूदित तथा स्वयं के व्यय से प्रकाशित साहित्यिक व स्तरीय कृतियों के प्रथम संस्करण को ही सम्मिलित किया जाएगा। संकलनों, स्मारिकाओं तथा वार्षिकियों पर विचार नहीं होगा।

इस योजना में गत तीन वर्षों यानी 2014, 2015 और 2016 में प्रकाशित मुद्रित ग्रन्थों पर ही विचार होगा। विचारार्थ प्रेष्य पुस्तक की दो प्रतियाँ, अपेक्षित प्रमाण-पत्र, व्यय के बिल व विवरण पत्र सहित अकादमी कार्यालय उदयपुर में भिजवा सकते हैं। इस योजना में प्रविष्टि हेतु वे ही रचनाकार पात्र होंगे, जिनकी हिन्दी भाषा में पाँच से कम कृतियाँ प्रकाशित हैं। जिन लेखकों को इस योजना में दो बार सहयोग प्राप्त हो चुका है, वे भागीदारी नहीं कर सकेंगे।

अकादमी कार्यालय में उक्त सभी योजनाओं की प्रविष्टियाँ व प्रस्ताव भिजवाने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 2017 है। योजनाओं के निर्धारित प्रपत्र और नियम अकादमी कार्यालय तथा वेबसाइट

www.rsaudr.org से प्राप्त कर सकते हैं। दूरभाष सम्पर्क : 0294-2461717

साहित्यकार आर्थिक सहयोग नियम

1. यह सहयोग राजस्थान निवासी को ही दिया जा सकेगा । राजस्थान निवासी से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा –
 - (1) जो राजस्थान का मूल निवासी हो और सामान्यतः राजस्थान में निवास कर रहा हो । अथवा
 - (2) जो राजस्थान में पुरस्कार की विज्ञप्ति निकलने से ठीक पूर्व कम से कम 10 वर्षों से राजस्थान में निवास कर रहा हो । अथवा
 - (3) ऐसा प्रवासी राजस्थानी जो मूलतः राजस्थान का निवासी हो और जिसने न्यूनतम राजस्थान में दस वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की हो ।
2. साहित्यकार सम्मान तथा सक्रिय साहित्यकार आर्थिक सहयोग राशि के संबंध में संचालिका निर्णय करेगी ।
3. जिन साहित्यकारों को साहित्यकार सहयोग राशि प्राप्त होगी उनका यथोचित विवरण कार्यालय पंजिका (रजिस्टर) में रखा जाएगा और संचालिका के अवलोकनार्थ प्रतिवर्ष रखा जाएगा ।
4. (अ) साहित्यकार सम्मान तथा सक्रिय साहित्यकार सहयोग के लिए प्रस्ताव या विवरण पत्र विज्ञप्ति प्रसारित कर आमंत्रित किये जायेंगे और प्राप्त प्रस्तावों और विवरणों को संचालिका के सामने निर्णायार्थ रखा जाएगा ।
(ब) सरस्वती सभा व विभिन्न परामर्शदात्री समितियों के सदस्य अथवा सम्बद्ध एवं मान्यता प्राप्त संस्था के पदाधिकारी स्वयं भी प्रस्ताव भेज सकेंगे ।
5. सहयोग राशि के लिए विवरण पत्र में अग्रांकित जानकारी देनी होगी –
 - (1) साहित्य रचना का प्रारम्भ और संक्षिप्त इतिवृत्त ।
 - (2) प्रकाशित/अप्रकाशित कृतियों, रचनाओं का ब्यौरा ।
 - (3) आर्थिक स्थिति व जीवनयापन के स्रोत ।
6. (अ) साहित्यकार सम्मान सहयोग ऐसे साहित्यकारों को ही दिया जा सकेगा जो निरन्तर 25 वर्ष तक या अपनी आयु के 50 वर्ष तक साहित्य रचना कर चुके हों और जिनके द्वारा रचित साहित्य की देन राजस्थान के साहित्य में उल्लेखनीय हो, अथवा

(ब) ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों को जो शारीरिक या मानसिक कारण से साहित्यिक रचना करने में असमर्थ हों गये हो और जिनके जीवन निर्वाह का कोई पर्याप्त अवलम्बन न हों । अथवा,

(स) जिनके कृतित्व को संचालिका मूल्यवान समझ कर आर्थिक सहयोग देना आवश्यक मानती हो ।

7. साहित्यकार सम्मान सहयोग राशि एक बार में तीन वर्ष तक के लिए स्वीकृत की जा सकती है लेकिन पुनरीक्षण करने पर यदि यह पाया जाये कि कोई सहयोग की पात्रता धारित नहीं करता अथवा उसकी सहयोग पात्रता समाप्त हो गई है तो सहयोग बन्द भी किया जा सकेगा ।

8. सक्रिय साहित्यकार से तात्पर्य होगा कि –

जो निरन्तर साहित्य के सृजन, अनुवाद, अनुसंधान, आलोचना व सर्वेक्षण में रत हो तथा जिसे साहित्यिक लेखन में प्रवृत्त रखने के लिये आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हो ।

9. सक्रिय सहयोग राशि किसी साहित्यकार को सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी किन्तु किसी विशेष मामले में संचालिका अपवाद स्वरूप इस अवधि को और बढ़ा सकेगी ।

10. जिन साहित्यकारों की मासिक आय केवल 3000/- रु. तक होगी वे ही इस योजना में सम्मिलित हो सकेंगे ।

साहित्यकार आर्थिक सहयोग हेतु विवरण-पत्र

1. नाम : _____
2. पिता का नाम : _____
3. राजस्थान में निवास स्थान : _____
4. जन्म स्थान : _____
5. जन्म तिथि : _____
6. आय के स्रोत : _____
7. वार्षिक आय : _____

8. प्रकाशित रचनाओं का संक्षिप्त विवरण :

9. अन्य _____

दिनांक :

हस्ताक्षर :

पूरा पता : _____

प्रकाशित ग्रन्थों पर सहयोग नियम

1. इस योजना में राजस्थान के निवासी लेखकों द्वारा रचित अथवा अनूदित एवं स्वयं के व्यय से प्रकाशित साहित्यिक व स्तरीय ग्रंथों के प्रथम संस्करण को ही सम्मिलित किया जायेगा ।
2. राजस्थान निवासी से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा –
 - (1) जो राजस्थान का मूल निवासी हो और सामान्यतः राजस्थान में निवास कर रहा हो । अथवा
 - (2) जो राजस्थान में पुरस्कार की विज्ञप्ति निकलने से ठीक पूर्व कम से कम 10 वर्षों से राजस्थान में निवास कर रहा हो । अथवा
 - (3) ऐसा प्रवासी राजस्थानी जो मूलतः राजस्थान का निवासी हो और जिसने न्यूनतम राजस्थान में दस वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की हो ।
3. अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष इस योजना में ग्रन्थ आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति प्रसारित की जाएगी। विज्ञप्ति में आमंत्रित कृतियों का विवरण प्रविष्टि की अंतिम तिथि तथा ग्रन्थों की प्रकाशन अवधि का उल्लेख होगा जो विज्ञप्ति प्रसारण के वर्ष से गत तीन वर्षों तक की होगी ।
4. विचारार्थ प्रेष्य पुस्तक की दो प्रतियाँ, अपेक्षित प्रमाण-पत्र व बिल या उनकी फोटो प्रतियाँ सहित भेजना अनिवार्य होगा, जिन्हें सहयोग प्राप्त नहीं होगा उसकी कृति की एक प्रति वापस लौटा दी जायेगी । जो कृतियाँ सहयोग के लिए स्वीकृत होंगी उन कृतियों की प्रतियाँ नहीं लौटाई जाएगी ।
5. एक लेखक/अनुवादक की एक ही कृति पर एक वित्तीय वर्ष में विचार किया जा सकेगा ।
6. संकलनों, स्मारिकाओं तथा वार्षिकियों पर इस योजना के अन्तर्गत विचार नहीं होगा ।
7. (अ) केवल उन्हीं प्रकाशनों पर सहयोग दिया जा सकेगा जिनके प्रकाशन का सम्पूर्ण व्यय-भार स्वयं लेखक ने वहन किया हो । लेखक को चुकारे के बिल, रसीद तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र भेजना अनिवार्य होगा ।
(ब) लेखक ने किसी साहित्यिक संस्था के माध्यम से अथवा प्रकाशक से स्वयं के व्यय पर प्रकाशन किया हो तो इस योजना में कृतियाँ विचारार्थ स्वीकार की जा सकेगी, लेकिन साहित्यिक संस्था या प्रकाशक के पदाधिकारी का ऐसा प्रमाण-पत्र कि लेखक ने ही प्रकाशन का व्यय किया है, आवश्यक होगा ।

8. इस योजना में उन प्रकाशनों पर विचार नहीं किया जा सकेगा जिन्हें अन्य स्थानों या स्रोतों से आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ हो ।
9. लेखक/अनुवादक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र का प्रारूप इस प्रकार होगा –

‘यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं

..... शीर्षक की कृति का लेखक या अनुवादक हूँ । यह एक मौलिक/ अनुवादित रचना है । इसे मैंने अपने खर्च से प्रकाशित करवाया है इसकी छपाई आदि पर मेरा कुल

रु. खर्च हुआ है जिसके बिल व रसीदें संलग्न हैं । इस पुस्तक पर मुझे किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता नहीं मिली है इसका प्रकाशन वर्ष है ।
10. इस योजना के अधीन नियमानुसार प्राप्त कृतियों पर संचालिका निर्णय करेगी जो अंतिम एवं मान्य होगा ।
11. इस योजना में जिन्हें सहयोग प्राप्त होगा वे आगामी 5 वर्षों तक इस योजना में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे ।
12. एक लेखक को इस योजना में अधिकतम दो बार ही सहयोग प्राप्त हो सकेगा ।
13. इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त पुस्तकों की प्रारम्भिक जाँच समिति द्वारा की जाएगी ।
14. जिन लेखकों की हिन्दी भाषा पाँच या पाँच से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं वे इस योजना में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे ।
15. नियमान्तर्गत प्राप्त व संस्तुत ग्रन्थों का मूल्यांकन संचालिका द्वारा स्वीकृत समीक्षकों के पैनल में से अकादमी अध्यक्ष गोपनीय रूप से करवायेंगे ।

सचिव,
राजस्थान साहित्य अकादमी,
उदयपुर – 313002

महोदय,

अकादमी की 'प्रकाशित ग्रन्थों पर सहयोग' योजनान्तर्गत अपनी कृति
----- की दो प्रतियाँ व इनके मुद्रण बिल
संलग्न हैं ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ----- शीर्षक की ग्रंथ का मैं मूल
लेखक/अनुवादक हूँ । यह एक मौलिक/अनुवादित रचना है । इसे मैंने अपने खर्च से प्रकाशित
करवाया है । इसकी छपाई आदि पर मेरा कुल मिलाकर -----रु. खर्च हुआ है जिसके
बिल व रसीदें संलग्न हैं । इस पुस्तक पर मुझे किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता नहीं मिली है ।
इसका प्रकाशन वर्ष ----- है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस योजना के नियम सं. (1) के उप नियम संख्या
----- के अन्तर्गत राजस्थान का निवासी हूँ ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अभी तक कुल ----- प्रकाशित मौलिक
कृतियाँ हैं इनके नाम अग्रतः हैं :-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि इस योजना में मुझे अभी तक ----- बार सहयोग प्राप्त
हुआ है/नहीं हुआ है ।

कृपया निर्णय से अवगत करावें । धन्यवाद ।

भवदीय

दिनांक :

नाम व पूरा पता :

साहित्यिक पत्र-पत्रिका सहयोग नियम

1. यह सहयोग राजस्थान की सृजनशील, आलोचनात्मक/शोध विषयक उन साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं को दिया जायेगा जो कि –
 - (क) साहित्यिक सृजन, आलोचना, शोध, अनुवाद आदि से सम्बन्धित हों ।
 - (ख) जिनकी प्रकाशन की अवधि मासिक से अर्द्ध वार्षिक के बीच हो ।
 - (ग) जिनकी कम से कम 250 प्रतियाँ नियमित प्रकाशित होती हों ।
 - (घ) जिनमें वर्ष भर के प्रकाशित लेखकों में कम से कम 50 प्रतिशत राजस्थान के लेखक सम्मिलित हों ।
 - (ङ.) जो प्रेस रजिस्ट्रार भारत से पंजीकृत हों ।
 - (च) जो गत दो वर्षों से नियमित रूप से प्रकाशित हो रही हों ।
2. अकादमी प्रति वर्ष पत्र-पत्रिकाओं के सहयोग हेतु विवरण-पत्र, विज्ञप्ति प्रसारित कर आमंत्रित करेगी ।
3. इच्छुक सम्पादक/प्रकाशक अकादमी द्वारा निर्धारित प्रपत्र की पूर्तियाँ कर निश्चित तिथि तक अपना विवरण एक वर्ष प्रकाशित अंकों की प्रतियां सहित अकादमी मुख्यालय को प्रेषित करेंगे ।
4. सहयोग राशि का निर्धारण संचालिका, पत्रिका की पृष्ठ संख्या, स्तर, साज-सज्जा एवं उसके आय के अन्य आर्थिक स्रोतों को देख कर करेगी ।
5. जिन पत्र-पत्रिकाओं को सहयोग मिलेगा, उन्हें अपने किसी एक अंक में इस सहयोग का उल्लेख करना होगा ।
6. अकादमी से सहयोग प्राप्त पत्र-पत्रिकाओं को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में अकादमी की कम से कम एक विज्ञापन निःशुल्क प्रकाशित करना होगा ।

साहित्यिक पत्र-पत्रिका सहयोग विवरण-पत्र

1. (अ) पत्रिका का नाम व आवृत्ति -----
(ब) प्रेस पंजीयन संख्या -----
2. सम्पादक का नाम -----
3. संस्था अथवा व्यक्ति का नाम जिसके द्वारा पत्रिका प्रकाशित की जा रही है -----

(अ) ग्राहकों की संख्या -----
(ब) निःशुल्क -----
(स) प्रकाशित प्रतियां -----
4. वार्षिक आय (अ) चन्दे से -----
(ब) विज्ञापनों से -----
(स) आय के अन्य स्रोत किसी और संस्था द्वारा सहायता, केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार द्वारा खरीद या अन्य -----
योग - -----
5. कुल वार्षिक व्यय ----- एक अंक पर व्यय ब्यौरे वार
दिया जाए मुद्रण ----- कागज ----- प्रेषण -----
योग -----
6. विगत कितने वर्षों से पत्रिका निकल रही है और कितने अंक निकल चुके हैं ?

7. विषय, वैशिष्ट्य -----
8. गत वर्ष में प्रकाशित कुल लेखकों की संख्या -----
तथा राजस्थान के लेखकों का प्रतिशत -----
9. वर्ष भर के कुल अंकों की पृष्ठ संख्या -----
10. लेखकों को पारिश्रमिक दिया गया ? यदि हाँ तो कितना -----
11. अन्य विवरण -----
12. गत एक वर्ष के अंक संलग्न/पृथकतः प्रेषित हैं। -----
स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
सम्पादक/प्रकाशक

पाण्डुलिपि प्रकाशन सहयोग के नियम

1. इस योजना में राजस्थान के सृजनशील हिन्दी लेखकों को उनके द्वारा रचित या अनूदित साहित्यिक पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु सहयोग निम्नांकित नियमों के अंतर्गत किया जायेगा ।
2. राजस्थान निवासी से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा –
 - (1) जो राजस्थान का मूल निवासी हो और सामान्यतः राजस्थान में निवास कर रहा हो । अथवा
 - (2) जो राजस्थान में योजना की विज्ञप्ति निकलने से ठीक पूर्व कम से कम 10 वर्षों से राजस्थान में निवास कर रहा हो । अथवा
 - (3) ऐसा प्रवासी राजस्थानी जो मूलतः राजस्थान का निवासी हो और जिसने न्यूनतम राजस्थान में दस वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की हो ।
3. अकादमी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत लेखकों से उनकी साहित्यिक पाण्डुलिपियों को दो प्रतियों में विचारार्थ आमंत्रित किया जायेगा । इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त पाण्डुलिपियों की प्रारंभिक जांच समिति द्वारा की जाएगी ।
4. नियमान्तर्गत प्राप्त पाण्डुलिपियों को संचालिका द्वारा स्वीकृत पैनल में से अकादमी अध्यक्ष गोपनीय रूप से मूल्यांकन करायेंगे । मूल्यांकन सहित पाण्डुलिपियां संस्तुति हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ।
5. संचालिका पाण्डुलिपि के स्तर व व्ययानुमान को देखकर एक निश्चित अवधि प्रकाशन करने पर प्रकाशन सहयोग देने का निर्णय करेगा । यह सहयोग लेखक को ही दिया जायेगा और उसकी इच्छा से वह स्वयं अथवा किसी प्रकाशक से ग्रंथ प्रकाशित करायेगा। यह सहयोग कृति के प्रथम संस्करण पर 500 प्रतियों तक के लिए ही देय होगा ।
6. पाण्डुलिपि को मूल्यांकन के लिए भेजने से पूर्व लेखक का नाम हटा दिया जायेगा ।
7. अकादमी सहयोग से प्रकाशित पुस्तक के अन्दरूनी टाइटल पर 'राजस्थान साहित्य अकादमी के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित' का उल्लेख अवश्य किया जायेगा ।
8. निश्चित अवधि में पुस्तक प्रकाशित करा कर उसकी 25 प्रतियां अकादमी को दी जायेंगी जिनका अकादमी यथा आवश्यकता उपयोग करेगी ।
9. लेखक को पाण्डुलिपि सहयोग की स्वीकृति सूचना दी जायेगी । लेखक निश्चित अवधि में पुस्तक की निर्धारित संख्या मुद्रित व प्रकाशित करा व्यय विवरण तथा बिलों की प्रमाणित प्रतियों के साथ प्रस्तुत करेगा और अकादमी जाँच कर स्वीकृत सहयोग राशि का भुगतान करेगी ।

10. एक वर्ष में लेखक की एक कृति पर ही विचार किया जायेगा ।
11. एक लेखक को यदि इस योजना में सहयोग मिलता है तो भविष्य में वह 5 वर्षों तक इस योजना में प्रविष्टि नहीं भेज सकेगा । एक लेखक को अधिकतम दो बार ही सहयोग दिया जा सकेगा ।
12. उन लेखकों की कृतियों पर विचार नहीं होगा जिनकी कोई कृति गत पाँच वर्षों में अकादमी से प्रकाशित हुई हो ।
13. रचनाकार यह प्रमाणीकरण भी करेंगे कि प्रस्तुत कृति में उनके द्वारा पूर्व प्रकाशित किसी कृति का कोई अंश या रचना पुनः सम्मिलित नहीं है ।
14. जिन लेखकों की पाँच या पाँच से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हैं वे इस योजना में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे ।
15. संचालिका द्वारा स्वीकृत होने पर पाण्डुलिपि की एक प्रति लेखक को प्रकाशनार्थ भेजी जायेगी तथा दूसरी कार्यालय में रहेगी । पुस्तक प्रकाशित होने पर यथानियम इसे भी लौटा दिया जायेगा ।
16. जिन पाण्डुलिपियों पर सहयोग स्वीकृत नहीं हो सकेगा उन्हें निर्णयोपरान्त लौटा दिया जायेगा ।
17. पाण्डुलिपि कम से कम 80 पृष्ठों की स्पष्ट टंकित या कम्प्यूटर टंकित फुलस्केप आकार की होनी आवश्यक है । बाल साहित्य की पाण्डुलिपियां कम से कम 40 पृष्ठ टंकित/कम्प्यूटर टाइप होंगी । हस्तलिखित पाण्डुलिपियां स्वीकार्य नहीं होंगी ।
18. इस योजना में प्रस्तुत जिन पाण्डुलिपियों पर सहयोग स्वीकृत नहीं हुआ है वे भविष्य में पुनः विचारार्थ प्रस्तुत नहीं की जा सकेंगी ।
19. स्फुट, बिखरी हुई, डायरियों में प्रेषित पाण्डुलिपियों पर नियमानुसार विचार नहीं किया जायेगा ।
20. इस योजना में शोध ग्रंथों, वार्षिकियों, सर्वेक्षण, संपादन व संकलन ग्रंथों पर विचार नहीं होगा ।

दिनांक :

सचिव,

राजस्थान साहित्य अकादमी,

उदयपुर – 313002

महोदय,

अकादमी की 'पाण्डुलिपि प्रकाशन सहयोग' योजनान्तर्गत पाण्डुलिपि मय व्ययानुमान के प्रस्तुत है

:-

पाण्डुलिपि शीर्षक _____

विधा _____

पृष्ठ संख्या _____

कुल व्ययानुमान (500 प्रतियों का) _____

पुस्तक 18" x 23" / 8 (डिमाई आकार में)

रु. _____

पैसे _____

प्रकाशित मौलिक कृतियों की संख्या _____

विवरण _____

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि –

1. मेरी उक्त पाण्डुलिपि में – (अ) सती-प्रथा का महिमा-मंडल नहीं है। (ब) पाण्डुलिपि में 'साम्प्रदायिकता' संबंधी कोई अंश नहीं है। और (स) यह अश्लील नहीं है।
2. नियम संख्या (1) की उपधारा () के अन्तर्गत मैं राजस्थान का निवासी हूँ ।
3. मुझे अब तक अकादमी द्वारा इस योजना में कुल ----- बार सहयोग प्राप्त हुआ है / नहीं हुआ है।
4. अद्यतन मेरी ----- ही मौलिक कृतियाँ प्रकाशित हैं ।
5. मैंने इस योजना में इससे पूर्व पाण्डुलिपि प्रस्तुत नहीं की है और न इसे अस्वीकार किया गया है।

भवदीय

पूरा नाम व पता _____

दूर./मो. : _____